रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215175
CG-DL-W-06012020-215175

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2019, शनिवार/ पौष 1—पौष 7, 1941
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 22— DECEMBER 28, 2019, SATURDAY/ PAUSHA 1— PAUSHA 7, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.366.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (योद्यक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय

के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) योद्यक परा चिकित्सीय पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु – सीमा, अर्हताएं आदि.**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु– सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो कि पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**– वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **सीधी भर्ती के लिए शरीरिक मानदंड** – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 के भाग– चार के अनुसार –

(क)	ऊँचाई	:	पुरूषों के लिए – 170 से.मी. महिलाओं के लिए– 157 से.मी.
(ख)	सीना	:	बिना फुलाए पुरूषों के लिए – 80 से.मी और फुलाने पर – न्यूनतम फुलाव 5 से.मी. महिलाओं के लिए – लागू नहीं
(ग)	वजन	:	पुरूषों और महिलाओं के लिए : चिकित्सा मानदंडों के अनुसार उँचाई व आयु के अनुपात में ।
(घ)	दृष्टि	:	दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार के अर्थात बिना चश्में के न्यनूतम 6/6 तथा 6/9 होनी चाहिए ।

(ड) अभ्यर्थी को सहत जातु, चपटे पैर, फूली हुई नसों या तिर्यक आंख वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए ।

(च) शिथिलीकरण : अनुसूचित जन जातियों तथा पहाड़ के लोगों को ऊँचाई और सीना में निम्नलिखित प्रकार से शिथिलता देय होगी :–

(i) ऊँचाई : गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उँचाई 165 सेमी. होगी ।

महिला के लिए न्यूनतम उँचाई 155 सेमी होगी तथा अनुसूचित जन जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 से.मी. तथा महिलाओं के लिए 150 से.मी. होगी ।

(ii) सीना : अनुसूचित जन जातियों और पहाड़ के लोगों के लिए सीने में शिथिलता लागू होगी । कार्मिकों के इस प्रवर्ग के लिए न्यूनतम सीना निम्नानुसार है :–

(क) उपरोक्त पैरा में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरूष : 78– 83 से.मी.

(ख) सभी राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातियों : 76–81 से.मी

शारीरिक दक्षता परीक्षण –

(क) दौड़

(i) पुरूषों के लिए : 7.5 मिनट में 1 मील

(ii) महिलाओं के लिए : 6 मिनट में 800 मीटर

(ख) लम्बी कूद

(i) पुरूषों के लिए : 10 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 6 फीट

(ग) ऊँची कूद

(i) पुरूषों के लिए : 3 फीट

(ii) महिलाओं के लिए : 2.5 फीट

6. **प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**– इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी श्रेणी या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योधक स्टॉफ की प्रोन्नति के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा यथाविहित शेप –1 चिकित्सा प्रवर्ग के अनुरूप होने की आवश्यकता होगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति** –. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैटिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ)	637 *(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैटिक्स में स्तर – 05 (29200 – 92300 रू0)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(6)
20 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की

गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : – भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषज में दो वर्ष का डिप्लोमा ; और (iii) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रकृत होंगे।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (ii) 97 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500–81,100 रू0) में ऐसे हैडकांस्टेबल (पैरामेडिक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
1 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; **2 समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–** (1) उप महानिरीक्षक(चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल –	लागू नहीं होता ।

अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य ;	

[फा. सं. आर.दो–1/2019–चिकित्सा–1–केरिपुबल/गृह मंत्रालय(कार्मिक–II]

ललित कपूर, उप सचिव(कार्मिक–II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th December, 2019

G.S.R. 366.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in partial supersession of the Central Reserve Police Force, Group "C" (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011, in so far as they relate to the post of Assistant Sub-Inspector (Pharmacist), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub Inspector (Pharmacist) in the Combatised Para-Medical post of the Central Reserve Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (Pharmacist),Combatised Para Medical Post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification, level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age -limit, qualifications etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Physical standard for direct recruitment.—** As per Part IV of the Central Reserve Police Force Recruitment Manual, 1975,

(a) Height	:	For male - 170 cms.
		For female – 157cms.
(b) Chest	:	For male : Unexpanded – 80cms and expanded – minimum expansion 5 cms.
		For female – Not applicable.
(c) Weight	:	For male and female : proportionate to height and age as per medical standards.
(d) Eye Sight	:	The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e without wearing glasses.

(e) The candidate shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision and they shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(f) Relaxation : Relaxation shall be permissible in height and chest to the Scheduled Tribes and hill peoples as follows:

(i) **Height** : The minimum height of candidates failing the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh shall be 165 cms. for men .

For females the minimum height shall be 155 cms and the minimum height for the Scheduled Tribes shall be 162.5 cms. for male and 150 cms. for female.

(ii) **Chest** : Relaxation in chest is applicable to the Scheduled Tribes and hill people.

The minimum chest for this category of personnel is as under :

(a) Men belonging to hill areas specified in above para: 78-83 cms.
(b) The Scheduled Tribes of all States/ Union Territories : 76-81cms.

6. **Physical Efficiency Test.-**

(a) Race
(i) For male : 1 mile in 7.5 minutes.
(ii)For female : 800 mtrs. In 6 minutes.

(b) Long Jump
(i) For male : 10 feet (ii) For female : 6 feet

(c) High Jump
(i) For Male : 3 feet (ii) For female : 2.5 feet.

7. **Medical fitness for promotion**.- For combatised staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, individual shall be required to confirm to medical category Shape-I as prescribed by the Government.

8. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

9. **Saving**- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non selection post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Sub- Inspector (Pharmacist)	637 *(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non- Gazetted, Non Ministerial (Combatised)	Level-5 in the pay matrix, Rs 29200-92300/-	Not applicable.

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 20 to 25 Years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya	**Essential :** (1) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; and (2) two years diploma in Pharmacy from a recognised Institute; and (3) shall be registered as "Pharmacist" under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub - Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).			

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 3 percent by promotion failing which direct recruitment; (ii) 97 percent by direct recruitment	**Promotion:** Head Constable (Paramedic) in level 4 in the pay matrix Rs. 25500 - 81100 with five years regular service in the grade	**1. Group- 'C' Department Promotion committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Deputy Inspector General(Medical) Central Reserve Police Force – Chairman; (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force - Member; (3) Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force – Member; **2. Group-'C' Department Confirmation committee (For considering Confirmation) consisting of :-** (1) Deputy Inspector General (Medical) Central Reserve Police Force – Chairman. (2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force- Member. (3) Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force – Member.	Not applicable.

[F. No. R.II-1/2019- Med. I-CRPF/ MHA/ Pers-II]
LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.367.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, धोबी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, धोबी (समूह –'ग' पद), भर्ती नियम, 2019 है |

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धोबी	3 *(2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय –समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण और (ख) व्यवसाय का दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण-1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्रधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी**: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरन बाल अस्पताल – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/22/2019-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th December, 2019

G.S.R. 367.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dhobi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Dhobi (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dhobi	3* (2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note .- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshdweep).	(a) Matriculation or equivalent from recognised board and (b) Two years experience in the profession. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the

	Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi - Chairman 2. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital - Member 3. Deputy Director Administration of the Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services - Member	Not applicable

[F.No. A.11018/22/2019-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में विकिरण सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, विकिरण सुरक्षा अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकिरण सुरक्षा अधिकारी	*2 (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

		किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे रेडियोआइसोटोप्स के प्रयोगशाला तकनीशियन से प्रोन्नति जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400) के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय चिकित्सा तकनीक में बेचलर की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान विषय में बेचलर की डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नाभिकीय चिकित्सा तकनीक में स्नातकोत्तर की डिग्री या डिप्लोमा	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. विकिरण विज्ञान के विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

या चिकित्सा रेडियो-आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/17/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 19th December, 2019

G.S.R. 368.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Radiation Safety Officer, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement. .— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Radiation Safety Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Radiation Safety Officer.	2* (2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level-7 in the pay matrix (44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Laboratory Technician for Radioisotopes with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): (I) Officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or University or recognised research institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	**Group-B Departmental Promotion Committee (for considering promotion) , consisting of:** 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Head of Radiology Department, Safdarjung hospital -Member; 3. Deputy Director in charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

(ii) with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400); and (b) possessing the following qualifications and experience : (I) Bachelor's degree in Nuclear Medicine Technology from a recognised University or institute; or (II) A bachelor's degree in Science from a recognised University or institute and Post Graduate degree or Diploma in Nuclear Medicine Technology or Diploma in Medical Radio-Isotope Technology from a recognised University of institute. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/17/2016-MH-II]
G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.369.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध विद्युत तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (विद्युत तकनीशियन) भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विद्युत तकनीशियन	2* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से विद्युत व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र । **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2**: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार वहां उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -**अध्यक्ष** 2. उपनिदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - **सदस्य** 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कार्य देख रहे उपनिदेशक (प्रशासन) - **सदस्य**	लागू नहीं होता।

[फा. सं.ए.11018/25/2019-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2019

G.S.R. 369.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Electrical Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrical Technician, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Electrical Technician) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes. The Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Electrical Technician.	2*(2019) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (25500-81100/-)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 21 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	(a) 12^{th} pass from recognised University or board and (b) Diploma or Certificate in Electric Trade from Industrial Training Institute or any other institute recognised by the Central Government or State Government or Union Territory or the Central Government: (c) Two years experience in the trade. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

and Union Territory of Lakshdweep	**Note 2**: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct Recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)consisting of :-** 1. Additional Medical Superintendent Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director(Admin), Lady Hardinge Medical College. -Member; 3. Deputy Director(Admin) looking after the work of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No.A.11018/25/2019-MH-II]
G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.370.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जैव-चिकित्सा इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, जैव-चिकित्सा इंजीनियर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

5. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जैव-चिकित्सा इंजीनियर	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव-चिकित्सा इंजीनियरी में डिग्री।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष

टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- रुपए) के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य; 4. उपनिदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/24/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2019

G.S.R.370.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bio Medical Engineer, Safdarjung Hospital, New Delhi , namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Bio Medical Engineer (Group-'B' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bio Medical Engineer.	02 *(2019) (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates is not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Degree in Bio-Medical Engineering from a recognised University or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years regular service in posts in level 6 in the pay matrix (35400-112400, and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:-** (1) Additional Medical Superintendent ,Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of concerned Department , Safdarjung hospital -Member; (3) Deputy Director in charge of Medical Hospital Division , Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration ,Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/24/2016-MH-II]
G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.371.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह-'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक इनका संबंध दर्जी, ड्रेसर और रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में दर्जी, ड्रेसर और रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (दर्जी, ड्रेसर और रसोइया), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दर्जी	1* (एक) (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.18000-56900)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समतुल्य उत्तीर्ण; तथा (ख) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से कर्तन और सिलाई का प्रमाण-पत्र या समतुल्य।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	**(11)**
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ड्रैसर	1 (एक)* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.18000-56900)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, तथा (ख) रेड क्रॉस सोसाइटी अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से फर्स्ट ऐड का प्रमाण पत्र। (ग) 50 बिस्तर से अधिक वाले अस्पताल में घाव पर पट्टी करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या

						कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	**(11)**
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रसोइया	5* (पाँच) (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.18000-56900)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण1** :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(ग) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) कक्षा उत्तीर्ण; तथा (घ) संस्थागत रसोई में खाना पकाने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव

						रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	**(11)**
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, - अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरन बाल अस्पताल, - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12018/09/2019-एम.एच. II]

जी. पी. सामंत,अवर सचिव

New Delhi, the 20th December, 2019

G.S.R.371.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi(Group-'D' posts), Recruitment Rules , 1979, in so far as they relate to the posts of Tailor , Cooks and Dresser except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Tailor, Dresser and Cook in Kalawati Saran Children's Hospital in New Delhi , namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Tailor, Dresser and Cook), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tailor	01* (One) (2019) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level-1 in the pay matrix.(18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(a) Matriculation(10th) or equivalent pass from recognised board and (b)Certificate of Cutting and Tailoring from Industrial Training Institute (ITI) recognised from Central or State government (ITI) or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee : (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital - -Chairperson; (ii) Deputy Director, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director looking after the admin work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Dresser	01* (One) (2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000-56900)	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** .- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(a) Matriculation from a recognised board and (b) First Aid Certificate from Red Cross society or Central Government or State Government recognised Institution (c) One year experience of dressing of wounds in 50 bedded hospital. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital - -Chairperson; (ii) Deputy Director Administration , Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director looking after the admin work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Cook	05* (Five) (2019) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000-56900)	Not applicable

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** .- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	(a) Matriculation(10^{th}) pass from recognised board ; and (b) One year experience of cooking in an Institutional Kitchen. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : Qualifications regarding experience are relaxable at the

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	discretion of the competent authority or Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of :-** (i) Additional Medical Superintendent , Kalawati Saran Children's Hospital -Chairperson; (ii) Deputy Director Administration , Kalawati Saran Children's Hospital -Member; (iii) Deputy Director looking after the admin work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable

[F. No. A.12018/09/2019-MH II]
G.P. SAMANTA , Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.01.06 21:06:48 +05'30'